न्यायालय उपजिलाधिकारी, अमरोहा।

वाद सं0–18 / 2015(टी–20151338016409) अन्तर्गत धारा–143 जमी0विनाश अधिनियम

मौजा–फराशपुरा तहसील व परगना–अमरोहा

बदलू हसन मैमोरियल एजुकेशनल बेलफेयर सोसायटी बनाम हल्का लेखपाल

निर्णय

प्रस्तुत वाद बदलू हसन मैमोरियल एजुकेशनल वैलफेयर सोसायटी जनपद अमरोहा द्वारा प्रबन्धक उसमान अली पुत्र बदलू हसन निवासी ग्राम श्यामपुर तहसील व जिला अमरोहा द्वारा अन्तर्गत धारा–143 ज0वि0अधिनियम योजित किया गया। जिस पर तहसीलदार, अमरोहा से आख्या प्राप्त की गई। वादी द्वारा अपने वाद पत्र मे कहा है कि वादी के पास ग्राम फराशपुरा तहसील अमरोहा मे भूमि वर्तमान खाता नम्बर–70 खसरा नम्बरी–125 क्षेत्रफल–4–650है0 लगान 180.55 रू0 स्थित ग्राम फराशपुरा तहसील अमरोहा मे वादी का 1–049 है0 भाग है। वादी उक्त आराजी मे सहखातेदार है और द्वारा बैनामा मालिक व काबिज व संक्रमणीय भूमिधर है। वादी ने अपने हिस्से वाली भूमि पर कॉलिज का निर्माण करना आरम्भ कर दिया है और मौके पर बाउण्ड्रीवॉल के निर्माण का कार्य चल रहा है। वादी ने अपनी उपरोक्त भूमि का कृषि उपयोग काफी पहले बन्द करके उसमे आबादी कायम कर ली है। वादी ने उक्त भूमि कालिज बनाने हेतु एजुकेशनल सोसायटी के नाम क्रय की है और वादी ने अपनी भूमि का खाता तकसीम न्यायालय श्रीमान उपजिलाधिकारी अमरोहा से करा लिया है। अन्त मे उनके द्वारा अपनी उक्त आराजी को अकृषिक घोषित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

तहसीलदार, अमरोहा की आख्या प्राप्त हुई। तहसीलदार, अमरोहा की आख्या दिनांक–10.11.2015 मे कहा गया है कि गाटा सं0–125 रकबा–1–049है0 मे चारदीवारी बनी है। गाटा सं0–125 मे कृषि कार्य नही हो रहा है। गाटा सं0–125 मे कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, सुअर पालन आदि कार्य नही हो रहा है। वादी एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा अपने बयान अंकित कराये गये।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस की गई। तहसीलदार, अमरोहा की आख्या, फर्द खतौनी, वादी तथा हल्का लेखपाल के बयानो का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, अमरोहा की आख्यानुसार गाटा सं0–125 रकबा–1–049है0 मे चारदीवारी बनी है। गाटा सं0–125 मे कृषि कार्य नही हो रहा है। गाटा सं0–125 मे कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, सुअर पालन आदि कार्य नही हो रहा है। भूमि के अकृषिक होने की पुष्टि वादीगण तथा क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने बयानो मे भी की गई है। अतः उपर्युक्त विवेचना से मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि तहसीलदार अमरोहा की आख्या दिनांक–10.11.2015 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अस्तु तहसीलदार, अमरोहा की आख्या दिनांक–10.11.2015 स्वीकार की जाती है। ग्राम फराशपुरा, तहसील अमरोहा के खाता सं0–70 गाटा सं0–125 रकबा–4–650है0 लगान–180.55 रू0 मे से वादी के 1–049है0 भाग को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। तद्नुसार घोषणा पत्र जारी हो। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो ।

दिनांक– 18.11.15

(मौ0नईम)
उपजिलाधिकारी, अमरोहा।

सत्य प्रतिलिपि

03.12.15